२४ अगस्त ०७

सुश्री मायावती जी,
मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश।

द्वारा :- जिलाधिकारी ----------

विषय : प्रदेश में स्थित उद्योगो की अनदेखी करने के विगत सरकार के निर्णय को दुरूस्त करने हेतु ज्ञापन।

महोदया,

इस पत्र के माध्यम से हमारी संस्था आई०आई०ए० आपकी जानकारी में लाना चाहती है कि १३ जुलाई ०६ को तत्कालीन प्रमुख सचिव संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-२ द्वारा एक नोटिफिकेशन संख्या **KANI-2-1283/XI-9(24)/2006-UP Act-15-48-order-(12)-2006** जारी किया गया। जिसमें राजीव गॉधी ग्रामीण विद्युतिकरण योजना के अन्तर्गत प्रदेश के बाहर से आयतित सामग्री को प्रदेश की टैक्स की देयता से पूर्ण छूट दे दी गयी परन्तु इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के उद्यमी से वही सामग्री खरीदने पर प्रादेशिक कर की छूट नही दी गई अर्थात प्रदेश के उद्योगो को इस छूट से वंचित रखा गया और प्रदेश से बाहर लगे उद्योगों को लाभ प्रदान किया गया।

आदरणीय महोदया। इस कानून के बनाने के उद्देश्य से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति/व्यक्तियों को लाभ प्रदान करने की चेष्टा पिछली सरकार द्वारा की गई है। यह प्रदेश के उद्योगो के हित में न होने के कारण प्रदेश हित में नही हैं। आप पिछली सरकार के बहुत से गलत निर्णयों को फिर से दुरूस्त करने में लगी है। अतः हमारा अनुरोध है कि उपयुक्त नोटिफिकेशन को संशोधित कर राजीव गॉधी ग्रामीण विद्युत योजना के अन्तर्गत प्रदेश के अन्दर से खरीदी जाने वाली सामग्री पर कर देयता समाप्त की जाए।

खेद का विषय है कि आई०आई०ए० की यह उचित और प्रदेश के उद्योगो के हित में की गयी मॉग को पिछली प्रदेश सरकार ने नही सुना परन्तु आपकी सरकार से हमें उम्मीद है की यह न्यायोजित मॉग अवश्यक सुनी जाएगी। पूरे भारत में उ०प्र० ही एक ऐसा राज्य है जहॉ पर प्रदेश के अन्दर स्थित उद्योगो की अवहेलना करते हुए प्रदेश के बाहर स्थित उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है, इससे बेरोजगारी का संकट और बढ़ेगा।

आपको विदित ही है कि पड़ोसी राज्यो जैसे उत्तराखण्ड एवं हिमांचल इत्यादि में केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न करो में रियायत देने के कारण और अन्य राज्यो में वैट लागू होने के कारण प्रदेश के उद्योग प्रतिस्पर्धा में पहले ही पिछड़ चुके है। ऐसे में उपरोक्त नोटिफिकेशन में बरते गये भेद-भाव पूर्ण निर्णय से सम्बन्धित उद्योग बुरी तरह से प्रभावित है। कुछ बन्द हो चुके है और कुछ बन्दी की कगार पर है।

आपसे पुनः विनम्र अनुरोध है कि इस नोटिफिकेशन में अविलम्ब संशोधन करवाकर जो कर रियायत प्रदेश के बाहर के उद्योगो को दी गयी है वह प्रदेश के भीतर स्थित उद्योगों पर लागू करने की कृपा करें जिससे विगत प्रदेश सरकार द्वारा की गयी गलती में संशोधन हो सके।

आपसे यह भी अनुरोध है कि यह संशोधन एक माह की अवधि में करवाने की कृपा करें। अन्यथा प्रदेश हित में प्रदेश के उद्योगों के हित में संस्था के सम्मुख शांतिपूर्ण आन्दोलन के अतिरिक्त और कोई रास्ता नही रह जाएगा।

धन्यवाद

चेयरमैन ------- चैप्टर